केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2020/22 दिनांक: 21.01.2020

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/P/2020/00010
CICOM/R/E/2019/00818

अपीलकर्ता : **श्रीमती विमला राठौर,**
क्वार्टर नं. बी/6, रामपुर ऑफिसर्स कालोनी,
पो0 - रामपुर कोलियरी,
वाया - ब्रजराजनगर, जिला - झारसुगुडा,
ओडीशा - 768225.

निर्णय की तारीख : 21.01.2020

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	04.11.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	19.11.2019, 04.12.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, श्री जीवन चंद्र
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.01.2020
प्रथम अपील आवेदन का डायरी सं. व तिथि	21477/16.01.2020

आर.टी.आई. आवेदन का संक्षिप्त विवरण:-

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 05.11.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी-

   1. केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के समक्ष किए गए द्वितीय अपील/शिकायत के निराकरण की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका पूर्ण विवरण प्रदान करने का कष्ट करें ।
   2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के समक्ष किए गए द्वितीय अपील/शिकायत के निराकरण के लिए निर्धारित समय अवधि का पूर्ण विवरण प्रदान करने का कष्ट करें एवं केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उक्त निर्धारित समय अवधि का पालन किया जा रहा है या नहीं उसका पूर्ण विवरण एवं सत्यापित प्रति प्रदान करने का कष्ट करें ।
   3. केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के समक्ष किस तिथि तक किए गए अपील/शिकायत का निराकरण/निर्णय किया जा चुका है उसका पूर्ण विवरण प्रदान करने का कष्ट करें ।
   4. केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली में विभिन्न केन्द्रीय सूचना आयुक्तों के पास द्वितीय अपील/शिकायत के लंबित पड़े मामलों का पूर्ण विवरण अपीलकर्ता का नाम, द्वितीय अपील/शिकायत की तिथि एवं केस संख्या सहित प्रदान करने का कष्ट करें ।

O/C

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदुवार प्रदान की गई सूचना:-

आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 एवं 2 से संबंधित सूचनाएं श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा एवं बिंदु सं. 4 से संबंधित सूचना श्री जीवन चन्द्र द्वारा प्रदान की गई है । प्रदान की गइए सूचनाएं निम्नलिखित है:-

1. द्वितीय अपीलों/शिकायतों को निपटाने की कोई लिखित निर्धारित प्रक्रिया नहीं है, संबंधित सूचना आयुक्त के दिशा-निर्देश के अनुसार द्वितीय अपीलों/शिकायतों का निपटारा किया जाता है ।
2. द्वितीय अपीलों/शिकायतों को निपटाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ।
4. वांछित जानकारी केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in में MIS Report=> Pending cases report => सीधा लिंक *https://dsscic.nic.in/cause-list-report-web/view-pending-cases* में उपलब्ध है ।

21/1/20

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
21 JAN 2020
D. No.........
Initials.........

P.T.O.

3. प्रथम अपील का आधार:-

प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने बिंदु सं. 4 के तहत प्रदान की गई सूचना से असहमति व्यक्त की है तथा उल्लेख किया है कि उन्हें बिंदु सं. 3 से संबंधित सूचना नहीं दी गई है तथा अनुरोध किया है कि उन्हें वांछित सूचना प्रदान की जाए एवं संबंधित दोषी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही की जाए ।

4. प्रथम अपील के तर्कसंगत निपटान के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा एवं श्री जीवन चन्द्र से लिखित टिप्पणी मांगी गई, दोनों केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों से निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्राप्त हुई है:-

श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा की टिप्पणी -

"In the above said RTI application, information on 4 points have been asked. Points 1&2 have been replied by RTI cell regarding Nirakaran/Niptara of 2nd appeals and complaints. Points 3 & 4 were transferred to CPIO (MR)".

श्री जीवन चन्द्र की टिप्पणी -

"कमीशनके उपरोक्त पत्र संख्या दिनांक 04.12.2019 जिसके माध्यम से एप्लिकेंट को उनके RTI रजिस्ट्रेशन संख्या CICOM/R/2019/00818 दिनांक 13.11.2019 के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी आरै केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट www.cic.gov.in में MIS Report=> Pending cases report => सीधा लिंक *https://dsscic.nic.in/cause-list-report-web/view-pending-cases* वेबसाइट लिंक उपलब्ध करवाया गया था । इस लिंक द्वारा एप्लिकेंट सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है, मसलन शिकायत/अपील कर्ता का नाम, संख्या, तिथि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसमें दर्शायी गई संख्या पर क्लिक करना होता है" ।

निर्णय

5. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना), केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की टिप्पणी का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा एवं श्री जीवन चंद्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गए सूचनाएं **बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है** । बिंदु सं. 4 के तहत प्रदान की गई वेबसाइट के लिंक में में सारी जानकारी उपलब्ध है, दी गई संख्या पर क्लिक करना है अथवा सूचना आयुक्त का नाम सेलेक्ट कर विभिन्न सूचना आयुक्तों के पास लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

बिंदु सं. 3 के संदर्भ में जन सूचना अधिकारी ने स्पष्ट किया कि चूंकि बिंदु स. 4 में प्रदान किए गए लिंक से यह ज्ञात हो जाता है कि मामला किस तिथि से लम्बित है, इससे स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है कि किस तिथि तक के मामलों का निपटारा किया जा चुका है ।

6 तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

7. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

Singhal

(योगेश कुमार सिंघल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री जीवन चन्द्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (MR), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

21/01/20